

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2864 जिसका उत्तर

गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2019/14 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के अंतर्गत पत्तन और बंदरगाह

2864. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत पत्तनों और बंदरगाहों के नाम क्या हैं; और
(ख) क्या उक्त मार्ग में चटगांव और मोंगला का पत्तन शामिल है, और यदि हां, तो
तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क): भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन एवं व्यापार (पीआईडब्ल्यूटीएण्डटी) संबंधी प्रोटोकॉल के अंतर्गत इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) रूट पर दोनों देशों में निम्नलिखित मौजूदा मार्ग पत्तन (पोर्ट्स ऑफ कॉल) हैं।

| भारत | कोलकाता | हल्दिया | पाण्डु | करीमगंज | सिलघाट | धुब्री |
|------------|-----------|---------|--------|----------|--------|--------|
| बांग्लादेश | नारायणगंज | खुलना | मोंगला | सिराजगंज | आशुगंज | पनगांव |

(ख): पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत मोंगला पत्तन को मार्ग पत्तन के रूप में घोषित किया गया है और चटगांव पत्तन पी आई डब्ल्यू टी एंड टी का हिस्सा नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच “तटीय पोत परिवहन समझौते” के तहत मोंगला और चटगांव को मार्ग पत्तन के रूप में घोषित किया गया है। भारत तक आने वाले और एवं भारत से जाने वाले माल के आवागमन के लिए चटगांव और मोंगला पत्तन के उपयोग पर भारत और बांग्लादेश द्वारा एक समझौता ज्ञापन, करार और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
